

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer

विवरणिका
(SYLLABUS)

कक्षा 12 परीक्षा, 2026 (संशोधित)
Class-12 Examination, 2026 (Amended)

(परीक्षा पाठ्यक्रम तथा अंक विभाजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
परीक्षा वर्ष 2026 के लिए मान्य है)



1. परीक्षा वर्ष 2026 की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में पाठ्यपुस्तकों में मुद्रित पाठ्यक्रम तथा बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किये गये पाठ्यक्रम/अंक विभाजन में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड अद्यतित (UPDATED) पाठ्यक्रम में दिया गया अंक विभाजन ही मान्य होगा।
2. कक्षा 12 परीक्षा-2026 के लिए आवश्यक निर्देश
3. कक्षा 12 परीक्षा-2026 के लिए परीक्षा योजना

उच्च माध्यमिक परीक्षा हेतु संकायवार उपलब्ध विषयों की सूची प्रदर्शित की जा रही है। इस सूची में प्रत्येक विषय के सम्मुख कोष्ठक में विषय कोड अंकित है। परीक्षा के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय लेने होंगे।

विषयों के शिक्षणार्थ प्रति सप्ताह निर्धारित कालांश :

क्र.स.	विषय	कालांश : 48
1	हिन्दी	6
2	अंग्रेजी	6
3	आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2	3
4	समाज सेवा योजना (नियमित विद्यार्थियों के लिए) कक्षा 11 उत्तीर्णोपरान्त ग्रीष्मकाश में	
5	ऐच्छिक विषय प्रथम-11, द्वितीय-11, तृतीय-11	33
6	नैतिक शिक्षा : प्रार्थना सभा, उत्सव आयोजनों एवं सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है।	
7	पुस्तकालय: पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान-प्रदान '0' कालांश/मध्य अन्तराल में।	
8	शारीरिक शिक्षा: शारीरिक शिक्षा एवं खेल गतिविधियां विद्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात अपेक्षित।	

नोट :- विद्यालयों जिनमें व्यावसायिक शिक्षा संचालित है, उनमें साप्ताहिक कालांश भार निम्नानुसार रहेगा।

- | | |
|---|----------|
| (i) आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2 | 1 कालांश |
| (ii) व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड विषय | 2 कालांश |

अनिवार्य विषय सभी संकायों के लिए

क्र.स.	विषय	विषय कोडसंख्या
1.	हिन्दी	(01)
2.	अंग्रेजी	(02)
3.	आजादी के बाद का स्वर्णिमभारत भाग-2	(79)
4.	समाजसेवा योजना (नियमित विद्यार्थियों (श्रेणी-1) के लिए)	(78)

विषय सूची (विषय कोड सहित)
कला संकाय

(कुल तीन विषय लेने हैं)

क्र.सं.	विषय	विषय कोड संख्या
5.	अर्थशास्त्र	(10)
6.	राजनीति विज्ञान	(11)
7.	संस्कृत साहित्य	(12)
8.	इतिहास	(13)
9.	भूगोल	(14)
10.	गणित	(15)
11.	अंग्रेजी साहित्य	(20)
12.	साहित्य (कोई एक विषय)–	
	हिन्दी	(21)
	उर्दू	(22)
	पंजाबी	(25)
	फारसी	(27)
	प्राकृत	(28)
	सिन्धी	(23)
	गुजराती	(24)
	राजस्थानी	(26)
13.	संगीत (16)	
	संगीतकण्ठ	
	या	
	वाद्य यंत्र–सितार	(65)
	सरोद	(66)
	वायलिन	(67)
	दिलरुबा अथवा इसराज	(68)
	बांसुरी	(69)
	गिटार	(70)
	तबला	(63)
	पखावज	(64)
	उपरोक्त में से कोई एक वाद्य का चयन किया जा सकेगा	
	या	
	नृत्य (कथक)	(59)
14.	चित्रकला	(17)
15.	गृहविज्ञान	(18)
16.	समाजशास्त्र	(29)
17.	दर्शनशास्त्र	(85)
18.	मनोविज्ञान	(19)
19.	शारीरिक शिक्षा	(60)
20.	लोक प्रशासन	(06)
21.	कम्प्यूटर विज्ञान (03) / इन्फॉरमेटिक्स प्रैक्टिस (04)	(03)/04
22.	पर्यावरण विज्ञान	(61)

23 व्यावसायिक शिक्षा कोई एक

- (i) ऑटोमोटिव (101) (ii) ब्यूटी एण्ड वैलनेस (102)
(iii) हेल्थ केयर (103)
(iv) इन्फोरमेशन टेकनोलोजी (IT)/ इन्फोरमेशन टेकनोलोजी इनेबल्ड सर्विसिज (ITes) (104)
(v) रिटेल (105) (vi) ट्रेवल एण्ड ट्यूरिजम/ ट्यूरिजम एण्ड हॉस्पिअलिटी (106)
(vii) एपैरल मेड-अप्स एण्ड होम फर्निशिंग (108)
(viii) इलेक्ट्रॉनिक्स (109) (ix) एग्रीकलचर (110) (x) पलम्बर (111)
(xi) टेलीकॉम (112) (xii) बैंकिंग फाईनेन्शियल सर्विसेज एण्ड इन्श्योरेन्स (113)
(xiii) कंस्ट्रक्शन (114) (xiv) फूड प्रोसेसिंग (115)

उपायुक्त व्यवसायिक शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के पत्र क्रमांक रास्कूशिप/जय/व्या. शि/BSER/2024-25 दिनांक 24.07.2025 के अनुसार सत्र 2025-26 में उक्तानुसार ट्रेड्स/सेक्टर व्यवसायिक शिक्षा में संचालित होंगे।

- नोट—(i) इन विषय को केवल वे ही विद्यार्थी चयन कर सकते हैं जिन्होंने इस विषय में 11 उत्तीर्ण की हो।
(ii) इस विषय को तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा चतुर्थ अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा सकता है।

वाणिज्य संकाय

(कुल तीन विषय लेने हैं जिनमें से लेखाशास्त्र (30) व व्यवसाय अध्ययन (31) अनिवार्य है तथा क्रम संख्या 26 से 33 में से कोई एक विषय लेना है।)

24. लेखाशास्त्र	(30)
25. व्यवसाय अध्ययन	(31)
26. अर्थशास्त्र	(10)
27. गणित	(15)
28. टंकणलिपि हिन्दी एवं टंकणलिपि अंग्रेजी	(34, 35)
29. हिन्दी शोघलिपि एवं हिन्दी टंकणलिपि	(32)
30. अंग्रेजी शोघलिपि एवं अंग्रेजी टंकणलिपि	(33)
31. कम्प्यूटर विज्ञान (03) / इन्फॉरमेटिक्स प्रेक्टिस (04)	(03)/(04)
32. पर्यावरण विज्ञान	(61)

33. व्यावसायिक शिक्षा कोई एक

- | | |
|---|--|
| (i) ऑटोमोटिव (101) | (ii) ब्यूटी एण्ड वैलनेस (102) |
| (iii) हेल्थ केयर (103) | |
| (iv) इन्फोरमेशन टेकनोलोजी (IT) / इन्फोरमेशन टेकनोलोजी इनेबल्ड सर्विसिज (ITes) (104) | |
| (v) रिटेल (105) | (vi) ट्रेवल एण्ड ट्यूरिजम / ट्यूरिजम एण्ड हॉस्पिटैलिटी (106) |
| (vii) एपैरल मेड-अप्स एण्ड होम फर्निशिंग (108) | |
| (viii) इलेक्ट्रॉनिक्स (109) | (ix) एग्रीकलचर (110) (x) पलम्बर (111) |
| (xi) टेलीकॉम (112) | (xii) बैंकिंग फाईनेन्शियल सर्विसेज एण्ड इन्श्योरेन्स (113) |
| (xiii) कंस्ट्रक्शन (114) | (xiv) फूड प्रोसेसिंग (115) |

उपायुक्त व्यवसायिक शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के पत्र क्रमांक रास्कूशिप/जय/व्या. शि/BSER/2024-25 दिनांक 24. 07.2025 के अनुसार सत्र 2025-26 में उक्तानुसार ट्रेड्स/सेक्टर व्यवसायिक शिक्षा में संचालित होंगे।

- नोट—(i) इन विषय को केवल वे ही विद्यार्थी चयन कर सकते हैं जिन्होंने इस विषय में 11 उत्तीर्ण की हो।
(ii) इस विषय को तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा चतुर्थ अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा सकता है।

विज्ञान संकाय

(कुल तीन लेने हैं विषय कोड (40) एवं (41) अनिवार्य है तथा क्रम संख्या 36 से 41 में से कोई एक विषय लेना है।)

34. भौतिक विज्ञान	(40)
35. रसायन विज्ञान	(41)
36. जीव विज्ञान	(42)
37. गणित	(15)
38. भू-विज्ञान	(43)
39. कम्प्यूटर विज्ञान (03)/इन्फॉरमेटिक्स प्रेक्टिस (04)	(03)/04
40. पर्यावरण विज्ञान	(61)

41. व्यावसायिक शिक्षा कोई एक

- (i) ऑटोमोटिव (101) (ii) ब्यूटी एण्ड वैलनेस (102)
(iii) हेल्थ केयर (103)
(iv) इन्फोरमेशन टेकनोलोजी (IT)/ इन्फोरमेशन टेकनोलोजी इनेबल्ड सर्विसिज (ITes) (104)
(v) रिटेल (105) (vi) ट्रेवल एण्ड ट्यूरिजम/ ट्यूरिजम एण्ड हॉस्पिटैलिटी (106)
(vii) एपैरल मेड-अप्स एण्ड होम फर्निशिंग (108)
(viii) इलेक्ट्रॉनिक्स (109) (ix) एग्रीकलचर (110) (x) पलम्बर (111)
(xi) टेलीकॉम (112) (xii) बैंकिंग फाईनेन्शियल सर्विसेज एण्ड इन्श्योरेन्स (113)
(xiii) कंस्ट्रक्शन (114) (xiv) फूड प्रोसेसिंग (115)

उपायुक्त व्यवसायिक शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के पत्र क्रमांक रास्कूशिप/जय/व्या. शि/BSER/2024-25 दिनांक 24. 07.2025 के अनुसार सत्र 2025-26 में उक्तानुसार ट्रेड्स/सेक्टर व्यवसायिक शिक्षा में संचालित होंगे।

नोट-(i) इन विषय को केवल वे ही विद्यार्थी चयन कर सकते हैं जिन्होंने इस विषय में 11 उत्तीर्ण की हो।

(ii) इस विषय को तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा चतुर्थ अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा सकता है।

कृषि संकाय

(कुल तीन लेने हैं जिनमें से कृषि (84) व कृषि जीव विज्ञान (38) अनिवार्य है तथा क्रम संख्या 44 से 49 में से कोई एक विषय लेना है

42. कृषि	(84)
43. कृषि जीव विज्ञान	(38)
44. कृषि रसायन विज्ञान	(39)
45. भौतिक विज्ञान	(40)
46. गणित	(15)
47. कम्प्यूटर विज्ञान (03)/इन्फॉरमेटिक्स प्रेक्टिस (04)	(03)/04
48. पर्यावरण विज्ञान	(61)

49. व्यावसायिक शिक्षा कोई एक

- | | | |
|--|---|------------------|
| (i) ऑटोमोटिव (101) | (ii) ब्यूटी एण्ड वैलनेस (102) | |
| (iii) हेल्थ केयर (103) | | |
| (iv) इन्फोरमेशन टेकनोलोजी (IT)/ इन्फोरमेशन टेकनोलोजी इनेबल्ड सर्विसिज (ITes) (104) | | |
| (v) रिटेल (105) | (vi) ट्रेवल एण्ड ट्यूरिज्म/ ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी (106) | |
| (vii) एपैरल मेड-अप्स एण्ड होम फर्निशिंग (108) | | |
| (viii) इलेक्ट्रॉनिक्स (109) | (ix) एग्रीकलचर (110) | (x) पलम्बर (111) |
| (xi) टेलीकॉम (112) | (xii) बैंकिंग फाईनेन्शियल सर्विसेज एण्ड इन्श्योरेन्स (113) | |
| (xiii) कंस्ट्रक्शन (114) | (xiv) फूड प्रोसेसिंग (115) | |

उपायुक्त व्यवसायिक शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के पत्र क्रमांक रास्कूशिप/जय/व्या. शि/BSER/2024-25 दिनांक 24.07.2025 के अनुसार सत्र 2025-26 में उक्तानुसार ट्रेड्स/सेक्टर व्यवसायिक शिक्षा में संचालित होंगे।

- नोट—(i) इन विषय को केवल वे ही विद्यार्थी चयन कर सकते हैं जिन्होंने इस विषय में 11 उत्तीर्ण की हो।
(ii) इस विषय को तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा चतुर्थ अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा सकता है।

कक्षा 12 (उच्च माध्यमिक) परीक्षा-2026 के लिए विषयवार अंकयोजना/परीक्षा योजना

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/मा-स/पर्यावरण (36)/वो-2/2025 दिनांक 20.08.2025 के अनुसार सत्रांको में वृक्षारोपण के अंकभार निर्धारण-

विषय एवंविषय कोड संख्या	प्रश्नपत्र	समय (घंटे)	अंक	सत्रांक का विभाजन						कुल सत्रांक	पूर्णांक	न्यूनतम उत्तीर्णा
				स्थानीय	प्रोजेक्ट	वृक्षारोपण	उपस्थिति	व्यवहार	वृक्षारोपण			
अनिवार्य विषय												
1.हिन्दी (01)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	4	1	3	1	1	20	100	33
2.अंग्रेजी (02)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	4	1	3	1	1	20	100	33
3.आजादी के बाद का स्वर्णिमभारत भाग-2(79)	सैद्धान्तिक	3:15	80		20					20	100	33
4.समाज सेवा योजना (78)			विवरणिका में दिये निर्देशानुसार									
वैकल्पिकविषय												
कलासंकाय												
				स्थानीय	प्रोजेक्ट	उपस्थिति	व्यवहार	वृक्षारोपण				
5. अर्थशास्त्र (10)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33	
6. राजनीति विज्ञान (11)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33	
7. संस्कृत साहित्य (12)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33	
8. इतिहास (13)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33	
9. भूगोल (14)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23	
	प्रायोगिक	3:30								30	10	
10. गणित (15)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33	
11. अंग्रेजी साहित्य (20)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33	
12. हिन्दीसाहित्य-(21)/उर्दू (22)/ सिन्धी (23)/गुजराती (24)/पंजाबी (25)/राजस्थानी(26)/ फारसी (27)/प्राकृत (28)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33	
13. संगीतकण्ड (16) अथवा वाद्य संगीत (वाद्य यंत्रों हेतु पाठ्यक्रम देखें) अथवा नृत्य	सैद्धान्तिक	3:15	24	3		1.5	0.5	1	6	30	10	
	प्रायोगिक									70	23	
14. चित्रकला (17)	सैद्धान्तिक	3:15	24	3		1.5	0.5	1	6	30	10	
	प्रायोगिक									70	23	
15. गृहविज्ञान (18)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23	
	प्रायोगिक									30	10	

16. समाजशास्त्र (29)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
17. दर्शनशास्त्र (85)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
18. मनोविज्ञान (19)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
19. शारीरिक शिक्षा (60)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
20. लोक प्रशासन (6)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
21. कम्प्यूटर विज्ञान (03) / इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस (04)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	3:00								30	10
22. पर्यावरण विज्ञान (61)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
23. व्यावसायिक ट्रेड विषय (कोई एक ट्रेड)	सैद्धान्तिक	3:15	30	10	5	3	1	1	20	50	17
	प्रायोगिक	3:00								50	17
वाणिज्य संकाय											
24. लेखाशास्त्र (30)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
25. व्यवसाय अध्ययन (31)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
26. अर्थशास्त्र (10)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
27. गणित (15)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
28. अंग्रेजी शीघ्रलिपि (33)	सैद्धान्तिक	1:00	40	5	2.5	1.5	0	1	10	50	17
29. हिन्दी शीघ्रलिपि (32)	सैद्धान्तिक	1:00	40	5	2.5	1.5	0	1	10	50	17
30. हिन्दी (34) एवं अंग्रेजी (35) टंकण	सैद्धान्तिक	1:00	40	5	2.5	1.5	0	1	10	50	17
31. कम्प्यूटरविज्ञान (03) / इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस (04)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	3:00								30	10
32. पर्यावरणविज्ञान (61)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
33. व्यवसायिक ट्रेड विषय (कोई एक ट्रेड)	सैद्धान्तिक	3:15	30	10	5	3	1	1	20	50	17
	प्रायोगिक	3:00								50	17
विज्ञान संकाय											
34. भौतिकविज्ञान (40)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
35. रसायनविज्ञान (41)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
36. जीवविज्ञान (42)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
37. गणित (15)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
38. भू-विज्ञान (43)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
39. कम्प्यूटरविज्ञान (03) / इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस (04)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	3:00								30	10
40. पर्यावरणविज्ञान (61)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23

	प्रायोगिक	4:00								30	10
41. व्यवसायिक ट्रेड विषय (कोई एक ट्रेड)	सैद्धान्तिक	3:15	30	10	5	3	1	1	20	50	17
	प्रायोगिक	3:00								50	17
कृषि संकाय											
42. कृषि (84)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
43. कृषि जीव विज्ञान (38)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
44. भौतिक विज्ञान (40)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	3:00								30	10
45. कृषि रसायन विज्ञान (39)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
46. गणित (15)	सैद्धान्तिक	3:15	80	10	5	3	1	1	20	100	33
47. कम्प्यूटर विज्ञान (03) / इन्फॉरमेटिक्स प्रेक्टिस (04)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
48. पर्यावरण विज्ञान (61)	सैद्धान्तिक	3:15	56	7	3	3	0	1	14	70	23
	प्रायोगिक	4:00								30	10
49. व्यवसायिक ट्रेड विषय (कोई एक ट्रेड)	सैद्धान्तिक	3:15	30	10	5	3	1	1	20	50	17
	प्रायोगिक	3:00								50	17

विस्तृत निर्देश परीक्षा प्रपत्र-33 व 34 का अवलोकन करें

1. उच्च माध्यमिक परीक्षा में (स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश लेने वालों के अतिरिक्त) वे ही अभ्यर्थी प्रवेश ले सकेंगे जिन्होंने-

(क) (10+2) योजना के अंतर्गत न्यूनतम पांच विषयों में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर कक्षा 11 उत्तीर्ण कर ली हो वे कक्षा 12 में प्रवेश योग्य होंगे। अथवा समकक्ष मान्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(ख) पाठ्यक्रम के अध्ययन में बोर्ड द्वारा निर्धारित एक शैक्षिक सत्र की सत्रांत तक कक्षा 12 वी. की नियमित उपस्थिति बोर्ड विनियमानुसार हो।

(ग) अध्याय 16 में शालाओं में प्रवेश संबंधी दिए गए अन्य प्रतिबंधों की पूर्ति करते हों।

(घ) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से सैकण्डरी स्कूल या समकक्ष मान्य परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को कक्षा 11 में अथवा कक्षा 12 में प्रवेश देने से पूर्व बोर्ड कार्यालय को छात्र से संबंधित पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा के मूल प्रलेख, प्रव्रजन (Migration) प्रमाण-पत्र व उसके द्वारा कक्षा 10 के अंत में उत्तीर्ण बोर्ड/विश्वविद्यालयों की मूल अंकतालिका (एक-एक सत्यापित प्रति सहित) रूपये 100/-सामान्य शुल्क एवं रूपये 200/- विलम्ब शुल्क सहित ऑनलाईन पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्राप्त किए जावें।

(ङ) इस बोर्ड की वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा (अंग्रेजी एवं पूर्व आयुर्वेद विज्ञान विषयों सहित) उत्तीर्ण अभ्यर्थी कक्षा 12 में विज्ञान विषय में प्रवेश योग्य होंगे।

2. यदि किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की माध्यमिक अथवा मान्य समकक्ष परीक्षा में किसी छात्र को फिर भी उत्तीर्ण घोषित किया गया है तो उसको एक प्रतिशत अनुग्रह अंक कुल निर्धारित पूर्णांकों के लिए जो देय होंगे, का लाभ प्रवेश की पात्रता जांचने हेतु देय होगा। अनुग्रह अंक कुल विषयों के लिए निर्धारित पूर्णांकों के आधार पर 1 प्रतिशत से अधिक किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होंगे। इस प्रकार दिए गए अनुग्रह अंको का लाभ एक विषय या अधिक विषयों की कमी को पूर्ण करने हेतु देय होगा। यदि संबंधित अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय के अनुग्रह अंकों का लाभ पहले ही छात्र को दे रखा है तब भी यह देखा जाएगा कि इस बोर्ड के 1 प्रतिशत अनुग्रह अंक देने के उपर्युक्त वर्णित नियमानुसार छात्र को कुल अनुग्रह अंकों का लाभ मिल चुका है अथवा नहीं। यदि नहीं तो अनुग्रह अंको का लाभ ऐसे सभी मामलों में इस बोर्ड के नियमानुसार छात्र की प्रवेश की पात्रता देखने हेतु देय होगा। अनुग्रह अंक प्रदान करने का यह नियम सभी बोर्ड/विश्वविद्यालय के मामलों में लागू माना जाएगा। चाहे वहां अनुग्रह अंक प्रदान करने का नियम हो अथवा नहीं।

3. पूर्व में हायर सैकण्डरी अथवा समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो अथवा इस बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में असफल रह हों तथा समकक्षता की मान्यता हेतु दिए गए प्रतिबंधों की पूर्ति एवं अध्याय 16 में शालाओं में प्रवेश संबंधी दिए गए अन्य प्रतिबंधों की पूर्ति करते हों ऐसे अभ्यर्थी कक्षा-12 में प्रवेश योग्य होंगे।

4. अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से ऊपर लिखी शर्त के अनुसार माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष मान्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कक्षा 11 की स्थानीय परीक्षा (Home Examination) सम्बन्धित बोर्ड के नियमानुसार समस्त विषयों में उत्तीर्ण छात्रों को ही इस बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।

5. उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा हेतु श्रेणियों (Categories) का विवरण :-

श्रेणी -1 सम्पूर्ण विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी

श्रेणी-2 श्रेणी सुधार हेतु पुनः उन्हीं विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी

श्रेणी-4 अतिरिक्त विषय/विषयों में सम्मिलित होले वाले परीक्षार्थी

श्रेणी-6 अंको में सुधार हेतु एक या अधिक विषयों में (परन्तु सम्पूर्ण विषयों में नहीं) सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी

श्रेणी-8 वर्ग परिवर्तन कर पुनः कक्षा-12 में सम्पूर्ण विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी

6. अतिरिक्त वैकल्पिक विषय:-

(i) विज्ञान विषय के विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के साथ गणित एवं जीव विज्ञान में से कोई एक विषय को चतुर्थ अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में ले सकेंगे। उक्त विषय के अलावा कम्प्यूटर विज्ञान/इन्फॉरमेटिक्स प्रेक्टिस में से कोई एक तथा कला के विषयों में से संस्कृत साहित्य का चयन एक और अतिरिक्त विषय के रूप में किया जा सकेगा। संस्कृत साहित्य का पाठ्यक्रम कला विषय के अन्तर्गत दिया गया है।

(ii) कृषि, कला एवं वाणिज्य विषय के विद्यार्थी तीन वैकल्पिक विषयों के साथ कम्प्यूटर विज्ञान/इन्फॉरमेटिक्स प्रेक्टिस में से कोई एक अतिरिक्त विषय के रूप में चुन सकेंगे।

(iii) अतिरिक्त विषय के लिए नियमानुसार परीक्षा शुल्क प्रति विषय अतिरिक्त देय होगा।

(iv) बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा के नियमित परीक्षार्थियों को अधिकतम एक विषय में स्व-अध्ययन की अनुमति शाला प्रधान की अनुशंसा पर प्रदान की जा सकेगी, जिसका अनुमोदन शाला-प्रधान द्वारा बोर्ड से कराया जायेगा, किन्तु विद्यार्थी द्वारा (अ) संगीत (कला वर्ग) (ब) गृह विज्ञान (कला वर्ग) (स) टंकण लिपि (वाणिज्य वर्ग) (द) कम्प्यूटर विज्ञान/इन्फॉरमेटिक्स प्रेक्टिस विषयों में प्रायोगिक कार्य पूरा किया जाने की स्थिति का आकलन करने के पश्चात ही स्वअध्ययन की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वअध्ययन की अनुमति देय नहीं होगी। नियमानुसार स्वअध्ययन शुल्क रु. 600/- प्रति छात्र रहेगा।

7. श्रेणी-1(Category-I) में प्रविष्ट होने वाले नियमित परीक्षार्थियों के लिए आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2 विषय की परीक्षा अनिवार्य रहेगी शेष सभी श्रेणियों (Categories) एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी इस विषय की परीक्षा से मुक्त रहेंगे।

8. "आजादी के बाद का स्वर्णिम" भारत भाग-2 विषय की परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी और प्राप्तांको को बोर्ड कार्यालय में भिजवाया जाएगा। इस हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत निर्धारित है। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने विद्यालय स्तर पर आयोजित परीक्षा में 33 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं किए हो, तो उन्हें विद्यालय स्तर पर पुनः अवसर देय होगा।

9. उच्च माध्यमिक परीक्षा/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा (कक्षा 12) में अध्यनरत नियमित विद्यार्थियों हेतु समाज सेवा योजना विषय के पाठ्यक्रम एवं अन्य निर्देशों की जानकारी इसी विवरणिका में देखें। नियमित विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा-11 नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ग्रीष्मावकाश में समाज सेवा योजना शिविर में भाग लिया है, उन विद्यार्थियों की ग्रेडिंग का अंकन होगा।

सत्रांक एवं सत्रीय कार्य-

- सत्रांक एवं सत्रीय कार्य के अंक विद्यालयों द्वारा बोर्ड को विषयवार प्रेषित किये जायेंगे।
- सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20% होंगे अर्थात् पूर्णांक 100 में से 20 अंक सत्रांक के होंगे, जिसका विभाजन इस प्रकार होगा- नियमित विद्यार्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांको के लिए 10% अंक, प्रोजेक्ट कार्य के हिन्दी अनिवार्य एवं अंग्रेजी अनिवार्य के लिए 4-4 अंक रहेंगे तथा शेष विषयों के पूर्ववत् 5 अंक होंगे, उपस्थिति, सद्व्यवहार तथा वृक्षारोपण के अंक उपर्युक्त तालिकानुसार होंगे।
 - 3% उपस्थिति पर अंक निम्नानुसार दिये जा सकेंगे:-
75% से 80% तक उपस्थिति होने पर 1 अंक (कुछ विषयों में तालिकानुसार ½)
81% से 85% तक उपस्थिति होने पर 2 अंक (कुछ विषयों में तालिकानुसार 1)
86%से 100% तक उपस्थिति होने पर 3 अंक (कुछ विषयों में तालिकानुसार 1½)
 - सद्व्यवहार तथा वृक्षारोपण के अंक उपर्युक्त तालिकानुसार होंगे।
- सत्रांक के प्राप्तांक भिन्न में होने पर अगले पूर्णांक में परिवर्तित करें।
 - सत्रांकों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा, जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण सत्रावधि में सत्रांको के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जांच की जा सकती है।
- संगीत एवं चित्रकला के अतिरिक्त ऐसे विषय जिनमें सैद्धान्तिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उन विषयों में सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक 20% होंगे जिसके अन्तर्गत नियमित अभ्यर्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांको के 10% अंक होंगे। सैद्धान्तिक परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
 - 3 अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति पर निम्नानुसार दिये जा सकेंगे :-
75% से 80% तक उपस्थिति होने पर 1 अंक
81% से 85% तक उपस्थिति होने पर 2 अंक
86%से 100% तक उपस्थिति होने पर 3 अंक
 - 3 अंक प्रोजेक्ट कार्य हेतु निर्धारित होंगे।
 - सद्व्यवहार तथा वृक्षारोपण के अंक उपर्युक्त तालिकानुसार होंगे।
 - सत्रांक के प्राप्तांक भिन्न में होने पर अगले पूर्णांक में परिवर्तित करें।
- संगीत और चित्रकला विषयों में सत्रांक विभाजन निम्नानुसार होगा-
लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20% होंगे जिसके अन्तर्गत नियमित अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांको के 10% अंक होंगे। शेष अंक उपस्थिति एवं व्यवहार में निम्नानुसार देय होंगे-
विद्यार्थियों की उपस्थिति पर निम्नानुसार अंक दिये जा सकेंगे
75% से 80% तक उपस्थिति होने पर 0.5 अंक
81% से 85% तक उपस्थिति होने पर 1.0 अंक
86%से 100% तक उपस्थिति होने पर 1.5 अंक
0.5 सद्व्यवहार तथा वृक्षारोपण का 1 अंक देय होंगे।
उक्त दोनों विषयों में क्रियात्मक कार्य पर्याप्त मात्रा में होने के कारण प्रोजेक्ट के अंक निर्धारण नहीं किया गया है।
- सत्रांकों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र में आयोजित बोर्ड की मुख्य परीक्षा तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा, जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण सत्रावधि में सत्रांको के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जांच की जा सकती है।
- क्रम.स. 28 से 30 पर उल्लेखित विषयों के पत्र में दो खण्ड होंगे, जिसमें शीघ्रलिपि के सन्दर्भ में खण्ड अ संकेतलिपि से तथा खण्ड ब संकेतलिपि के अनुवाद को टंकण यंत्र अथवा कम्प्यूटर पर टाइप किये जाने सम्बन्धित होगा। टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी के सन्दर्भ में खण्ड अ हिन्दी और खण्ड ब अंग्रेजी टंकण से सम्बन्धित होगा। विद्यार्थी को खण्ड अ और खण्ड ब दोनों में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

8. अतिरिक्त वैकल्पिक विषय—
- (i) वरिष्ठ उपाध्याय के विद्यार्थी तीन वैकल्पिक विषयों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग—II अतिरिक्त विषय के रूप में चुन सकेंगे।
- (ii) अतिरिक्त विषय के लिए नियमानुसार परीक्षा शुल्क प्रति विषय अतिरिक्त देय होगा।
9. श्रेणी –1 (Cat-I) में प्रविष्ट होने वाले नियमित परीक्षार्थियों के लिए समाजोपयोगी योजनाएँ विषय की परीक्षा से मुक्त रहेगी।
10. आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2 विषय की परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जायेगी और प्राप्तांकों को बोर्ड कार्यालय में भिजवाया जायेगा। इस हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत निर्धारित है। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने विद्यालय स्तर पर आयोजित परीक्षा में 33 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं किये हो तो उन्हें विद्यालय स्तर पर पुनः अवसर देय होगा।

BSEER